भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1106

जिसका उत्तर 08 फरवरी, 2024 को दिया जाना है।

.....

छोटी नदियों की सफाई

1106. श्री सौमित्र खान:

श्री मलूक नागर:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा जिला मुख्यालयों, शहरों और औद्योगिक क्षेत्रों से होकर बहने वाली गंगा नदी एवं अन्य छोटी नदियों में स्वच्छता बनाए रखने के लिए किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का इस संबंध में नए प्रावधान करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में बनाई जा रही योजना का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री बिश्वेश्वर टुडु)

(क): भारत सरकार ने वर्ष 2014-15 में गंगा बेसिन में गंगा नदी और अन्य छोटी नदियों में प्रदूषण के विभिन्न स्रोतों से निपटने के लिए प्रदूषण उपशमन उपायों, अर्थात नगरपालिका सीवेज, औद्योगिक बहिस्त्राव, पारिस्थितिकीय प्रवाह में सुधार के लिए कार्यकलाप, जैव विविधता संरक्षण, वनीकरण, नदी के किनारों पर सुविधाओं और स्वच्छता में सुधार, क्षमता निर्माण, अनुसंधान और निगरानी और जन जागरूकता जैसे विभिन्न कार्यकलापों के साथ-साथ बेसिन दृष्टिकोण के साथ समग्र रूप से उन्हें साफ करने के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम शुरू किया था।

i. अब तक, 38,438.05 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से कुल 457 परियोजनाएं (सीवेज अवसंरचना सहित) को मंजूरी दी गई है, जिनमें से कुल 280 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और परिचालित हो गई हैं। 31,575.84 करोड़ रुपए की लागत से 6,208.12 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एमएलडी) क्षमता के सीवेज शोधन संयंत्र (एसटीपी) क्षमता के सृजन एवं पुनरूद्धार के लिए कुल 198 सीवरेज अवसंरचना परियोजनाएं शुरू की गई हैं। इनमें से 111 सीवरेज परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जिसके परिणामस्वरूप 2,844.00 एमएलडी सीवेज उपचार क्षमता का निर्माण और पुनर्वासन हुआ है।

ii. औद्योगिक प्रदूषण को कम करने के लिए, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) ने कुछ औद्योगिक क्लस्टरों की पहचान की है और उन्हें टेनरी, टेक्सटाइल बहिस्राव - और अन्य जैसे क्षेत्रों

को वित्तीय सहायता मुहैया करवाई है। एनएमसीजी ने अब तक कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स (सीईटीपी) अर्थात जाजमऊ सीईटीपी (20 एमएलडी), बंथर सीईटीपी (4.5 एमएलडी), उन्नाव सीईटीपी (2.65 एमएलडी), मथुरा सीईटीपी (6.25 एमएलडी) और गोरखपुर सीईटीपी (7.5 एमएलडी) की 5 औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें से मथुरा सीईटीपी (6.5 एमएलडी) परियोजना पूरी हो चुकी है। सीइटीपी जाजमऊ को भी पूरा कर लिया गया है और इसका दिनांक 30 दिसंबर 2023 को माननीय प्रधान मंत्री द्वारा शुभारंभ किया गया है। अन्य सीईटीपी का कार्य भी प्रगति पर हैं;

iii. आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए, एनएमसीजी द्वारा बाढ़ क्षेत्र की आर्द्रभूमि और शहरी आर्द्रभूमि को प्राथमिकता के साथ बेसिन स्तर पर आर्द्रभूमि संरक्षण किया गया है। 'नमामि गंगे' कार्यक्रम के तहत, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड राज्यों में आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए 12.53 करोड़ रुपये की लागत से 4 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है;

iv. वर्ष 2017 से नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की मुख्य धारा में चल रहे अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों (जीपीआई) का वार्षिक निरीक्षण किया गया है। तकनीकी संस्थानों और संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी) की एक संयुक्त टीम द्वारा वर्ष 2017 में 1109 जीपीआई, वर्ष 2018 में 961 जीपीआई, वर्ष 2019 में 1072 जीपीआई, वर्ष 2020 में 2740 जीपीआई, वर्ष 2021 में 2706 जीपीआई और वर्ष 2022 में 3186 जीपीआई का निरीक्षण किया गया है;

v. प्रयाग अर्थात यमुना और गंगा और उनकी सहायक नदियों (निगरानी केंद्र) के लिए वास्तविक समय में विश्लेषण करने के लिए प्लेटफार्म का उपयोग - परियोजनाओं की आयोजना और निगरानी, नदी जल गुणवत्ता, एसटीपी के कार्य-निष्पादन आदि के लिए विभिन्न ऑनलाइन डैशबोर्ड जैसे गंगा तरंग पोर्टल, ऑनलाइन ड्रोन डेटा के माध्यम से जाजमऊ संयंत्र, परियोजना निगरानी उपकरण (पीएमटी) डैशबोर्ड, गंगा जिलों के कार्य-निष्पादकता निगरानी प्रणाली, आदि के माध्यम से किया जा रहा है;

vi. "राष्ट्रीय नदी पशुपालन कार्यक्रम 2023" के तहत एनएमसीजी द्वारा वर्ष 2017 से कुल 93 लाख भारतीय मेजर कार्प (आईएमसी) फिंगरलिंग्स को गंगा में स्थापित किया गया है ताकि मत्स्य जैव विविधता और नदी डॉल्फ़िन के शिकार के बेस का संरक्षण किया जा सके और गंगा बेसिन में मछुआरों की आजीविका सुनिश्चित की जा सके;

vii. नदी पारिस्थितिकी के संरक्षण के लिए, एनएमसीजी द्वारा उत्तर प्रदेश के जिलों अर्थात मिर्जापुर, बुलंदशहर, हापुड़, और बदायूं (प्रत्येक जिले के लिए एक पार्क) में चार गंगा जैव विविधता उद्यानों को 24.97 करोड़ रुपये में मंजूरी दी गई है। डॉल्फ़िन, ऊदबिलाव, हिल्सा, कछुए और अन्य नदी प्रजातियों की बढ़ती प्रजातियों के देखे जाने के साथ जैव विविधता में महत्वपूर्ण सुधार देखा गया

है। अन्य उपायों में मत्स्य पालन के लिए व्यापक कार्यक्रमों का कार्यान्वयन शामिल है, जिसके परिणामस्वरूप जीआईएस प्लेटफॉर्म पर गंगा नदी के फिश मैपिंग आदि को विकसित किया गया है; 30,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में वनरोपण भी किया गया है;

viii. गंगा नदी के पांच राज्यों में 4,507 चिन्हित गांवों में स्वतंत्र घरेलू शौचालयों का निर्माण कार्य पहले ही पूरा किया जा चुका है। गंगा तट पर बसे इन सभी गांवों को अब खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) घोषित किया गया है;

ix. राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) ने गंगा नदी को साफ और संरक्षित करने के प्रयासों में जनता के बीच जिम्मेदारी और उसमें सम्मिलित होने की भावना को बढ़ावा देने के लिए व्यापक जन जागरूकता अभियान शुरू किए हैं। लोगों की भागीदारी बढ़ाने के निरंतर प्रयासों ने इस मिशन को एक जन आंदोलन में बदल दिया है। इन गतिविधियों में - गंगा उत्सव, नदी उत्सव, नियमित सफाई और वृक्षारोपण अभियान, घाट पर योग, गंगा आरती, आदि शामिल हैं। इन प्रयासों को गंगा प्रहरी, गंगा विचार मंच, गंगा दूत आदि जैसे गंगा रक्षकों के समर्पित कैडरों का भी सहयोग प्राप्त है;

x. गंगा दूतों (45,000), गंगा प्रहरी (2,900), और गंगा मित्र (700) का एक कैडर सार्वजनिक सहभागी गतिविधियों में शामिल है;

xi. जिला स्तर पर गंगा नदी की स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए, जिला मजिस्ट्रेटों की अध्यक्षता में 139 जिला गंगा समितियों (डीजीसी) का गठन किया गया है। जिला गंगा समितियों की कार्य निष्पादकता निगरानी प्रणाली (जीडीपीएमएस) के लिए डिजिटल डैशबोर्ड द्वारा कार्य निष्पादकता की निगरानी की जाती है। जिला गंगा समितियां नियमित रूप से 4एम (मासिक, अधिदेश, मिनट और निगरानी) बैठकें आयोजित करती हैं जो दिनांक 6 अप्रैल, 2022 को माननीय जल शक्ति मंत्री की गरिमामय उपस्थिति में शुरू की गई थीं। अब तक, 2,493 से अधिक बैठकें आयोजित की गई हैं;

xii. एनएमसीजी ने चयनित डीजीसी के साथ समन्वय से अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर रामगंगा बेसिन में 4 जिलों अर्थात उत्तराखंड में उधम सिंह नगर, उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर, मुरादाबाद और बरेली के लिए भारत-यूरोपीय संघ जल भागीदारी (आईईडब्ल्यूपी) के तहत, तकनीकी सहायता के साथ, एनएमसीजी द्वारा विकसित एक सामान्य पद्धति और नदी बेसिन प्रबंधन फ्रेमवर्क का उपयोग करते हुए जिला गंगा योजनाएं तैयार की हैं। ये विकेंद्रीकृत आयोजना को बढ़ावा देने और नदी बेसिन प्रबंधन में लोगों की बेहतर भागीदारी में मदद करते हैं;

(ख) और (ग): सरकार ने जल संरक्षण और छोटी नदियों के संरक्षण के लिए कई कदम उठाए हैं। उनमें से कुछ का ब्यौरा निम्नानुसार है;

i. माननीय प्रधान मंत्री ने दिनांक 22 मार्च 2021, विश्व जल दिवस पर जल शक्ति अभियान (जेएसए): कैच द रेन (सीटीआर) अभियान शुरू किया, जिसका विषय - "कैच द रेन, व्हेयर इट फॉल्स, व्हेन इट फॉल्स" है, जो मानसून पूर्व और मानसून की अवधि अर्थात मार्च 2021 से 30 नवंबर 2021 तक देश भर के सभी जिलों (ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों) के सभी ब्लॉकों को शामिल किया गया है। अभियान के केंद्रित कार्यकलापों में (1) जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन (2) सभी जल निकायों की गणना, भू-टैगिंग और एक सूची बनाना; इसके आधार पर जल संरक्षण के लिए वैज्ञानिक योजनाएं तैयार करना, छोटी नदियों का संरक्षण (3) सभी जिलों में जल शक्ति केंद्रों की स्थापना (4) सघन वनीकरण और (5) जागरूकता सृजन जैसे कार्य शामिल थे। छोटी नदियों के संरक्षण सहित जल संरक्षण कार्यों के लिए मनरेगा और वित्त आयोग के अनुदान से भी धनराशि की शपथ ली गई है। इस अभियान के दौरान, 36,76,60,580 वनीकरण गतिविधियों के अलावा कुल 46,76,852 जल-संबंधी कार्य पूरे किए गए/चल रहे थे;

ii. ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के परामर्श और सहमति के तहत धन का लाभकारी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (एनआरएम) के लिए एक कार्रवाई योग्य फ्रेमवर्क विकसित किया है, जिसका शीर्षक 'मिशन जल संरक्षण' है। इन कार्यक्रमों/योजनाओं के अंतर्गत किए जाने वाले सामान्य कार्यों में जल संरक्षण और प्रबंधन, जल संचयन, मृदा और नमी संरक्षण, भूजल पुनर्भरण, बाढ़ संरक्षण, भूमि विकास, कमान क्षेत्र विकास और वाटरशेड प्रबंधन आदि हैं;

iii.ग्रामीण विकास विभाग (डीओआरडी), जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, भूमि संसाधन विभाग (डीओएलआर) और पेयजल और स्वच्छता विभाग (डीओडीडब्ल्यूएस) की एक संयुक्त एडवाइजरी दिनांक 24.04.2020 को देश में जल संरक्षण और जल प्रबंधन के क्षेत्र में प्रयासों पर जोर देने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई थी जिससे कि सहभागी पद्धति के माध्यम से समुदायों को शामिल करके छोटी नदियों का संरक्षण किया जा सके;

iv. माननीय प्रधानमंत्री ने दिनांक 24 अप्रैल 2022 को अमृत सरोवर मिशन का शुभारंभ किया। इस मिशन का उद्देश्य आजादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में देश के प्रत्येक जिले में 75 जल निकायों को विकसित और संरक्षित करना है;

vi. नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत, राष्ट्रीय नदी गंगा और उसकी सहायक नदियों के एकीकृत संरक्षण के लिए, बड़ी संख्या में छोटी सहायक नदियों को उनके कैचमेंट क्षेत्रों/वाटरशेड और आर्द्रभूमि के साथ मैप किया गया है। अतिरिक्त जिलेवार जानकारी (https://nmcg.nic.in/abamaps.aspx) के साथ छोटी नदियों की जीआईएस-आधारित सूची भी बनाई गई है। मनरेगा, उत्तर प्रदेश से सहायता प्राप्त करते हुए 75 से अधिक छोटी नदियों (बड़ी नदियों से निकलने वाली छोटी नदियों/सहायक

नदियों) के पुनरूद्धार और गंगा बेसिन में जिला गंगा समिति को शामिल करने का भी प्रयास किया गया है। इसके अलावा, वैज्ञानिक/तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए आईआईटी कानपुर के नेतृत्व में गंगा नदी बेसिन प्रबंधन और अध्ययन केंद्र (सी गंगा) के माध्यम से तकनीकी सहायता प्रदान करने का कार्य किया जाता है;

vi. इनके अलावा, राज्य सरकारों ने जल संरक्षण और छोटी नदियों के संरक्षण के लिए कई विशेष कार्यक्रम भी शुरू किए हैं, उदाहरण के लिए, लघु नदी संरक्षण और पुनरूद्धार योजना के तहत, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 19 नदियों का कार्य सफलतापूर्वक शुरू किया गया है। इन नदियों में टेडी, मनोरमा, पांडु, वरुणा, सासुर खडेरी, सई, गोमती, अरिल, मोरवा, मंदाकिनी, तमसा, नाड, कर्णावती, बाण, सोत, काली पूर्व, दादी, ईशान और बूढ़ी गंगा शामिल हैं। संरक्षण और पुनरूद्धार के लिए, गंगा बेसिन में शिवना, मंदाकिनी, रिस्पना और बिंदल, कोसी, बूढ़ी गंडक, रामरेखा नदी पर छह परियोजनाएं केंद्रित कार्यकलापों के साथ शुरू की गई हैं।

*****